मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 633/आर–812/चार/ब–1/07 भोपाल, दिनांक 03/08/2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :– आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं के फार्मुलेशन परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु व्यवस्था।

संदर्भ:– इस विभाग का पत्र क्र. जी–27–3/सी/चार/ भोपाल दिनांक 07 मार्च, 2002.

---0---

आयोजना मद के अंतर्गत विभागीय योजनाओं तथा परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु स्थायी सक्षम समितियों के गठन सम्बंधी आदेश वित्त विभाग द्वारा संदर्भित निर्देश दिनांक 7 मार्च, 2002 द्वारा जारी किये गये थे। इस व्यवस्था के कियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयां अनुभव की गई हैं। अतः राज्य शासन ने विचारोपरान्त इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2. स्थायी सक्षम समिति के समक्ष योजनाओं के परीक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व परियोजना अभिलेख (प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट) तैयार किया जाये, जिसमें योजना के संबंध में सभी मूलभूत जानकारी उपलब्ध हो। परियोजना अभिलेख एवं सक्षम स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली संक्षेपिका का स्वरूप संलग्न परिशिष्ट–1 एवं 2 अनुसार होगा। परियोजना अभिलेख एवं संक्षेपिका सक्षम समिति के सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व अवश्य प्रेषित की जाये।

3. सर्वेक्षण तथा निर्माण उद्देश्य शीर्षों के बजट प्रावधान अलग–अलग उपशीर्ष के अंतर्गत करने के स्थान पर एक ही उपशीर्ष में किया जायेगा। ऐसी योजनाओं/ परियोजनाओं का परीक्षण एवं प्रशासकीय अनुमोदन उनके सर्वेक्षण/रूपांकन तथा निर्माण की कुल अनुमानित लागत के आधार पर किया जायेगा। सर्वेक्षण तथा रूपांकन पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ करने के

पूर्व द्वितीय चरण के प्राक्कलन के आधार पर उसका पुनः परीक्षण स्थाई सक्षम समिति द्वारा कराने के पश्चात् पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।

4. योजना/परियोजना के आरंभ के समय ही यदि लागत में वृद्धि परिलक्षित हो रही है और यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक है, तो योजना/परियोजना का कियान्वयन करने के पूर्व उसका पुनः परीक्षण स्थाई सक्षम समिति से कराया जाकर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी परन्तु यदि यह वृद्धि 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर है, तो वास्तविक लागत के आधार पर कार्योत्तर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

5. सक्षम वित्तीय समितियों की अधिकारिता निम्नानुसार होगी –

सक्षम वित्तीय समिति	अधिकारिता सीमा (रूपये करोड़ में)
स्थायी वित्त समिति	10
वित्तीय व्यय समिति	50
परियोजना परीक्षण समिति	50 से अधिक

6. योजना/परियोजना अंतर्गत यदि किसी ऐसे व्यय का समावेश है, जिसे वित्त विभाग अथवा मंत्रि–परिषद के द्वारा मितव्ययता की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया है, तो ऐसे प्रतिबंधित व्यय के बारे में पृथक से स्पष्ट उल्लेख सक्षम वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली संक्षेपिका में किया जाये।

7. यदि प्रतिबंध राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत वित्त विभाग ने लगाया है, तो रूपये 10 करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं/परियोजनाओं का परीक्षण भी स्थायी वित्त समिति के स्थान पर वित्तीय व्यय समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्रशासकीय अनुमोदन माननीय वित्त मंत्री जी से प्राप्त किया जाये।

8. यदि प्रतिबंध मंत्रि–परिषद द्वारा लगाया गया है, तो ऐसी योजना/परियोजना का परीक्षण परियोजना परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा और उसका प्रशासकीय अनुमोदन मंत्रि–परिषद से प्राप्त किया जाये।

9. अनुमोदन के पश्चात् प्रतिबंधित श्रेणी के व्यय के शिथिलीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। योजनाओं के कियान्वयन के समय पुनः कार्यालयीन उपकरण कय जैसे मदों

के व्यय हेतु मंत्रि–परिषद अथवा वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

10. योजनाओं/परियोजनाओं के कियान्वयन के अनुश्रवण हेतु भी संस्थागत व्यवस्था की जाये। जिन समितियों द्वारा योजनाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के पूर्व परीक्षण किया जाना है, उन्हीं के द्वारा इन योजनाओं के कियान्वयन का अनुश्रवण भी किया जाये।

11. केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसान्तर्गत प्राप्त विशिष्ट प्रयोजन अनुदान से किये जाने वाले कार्यों एवं विदेशी सहायता प्राप्त कार्यों के परीक्षण तथा प्रशासकीय स्वीकृति की पृथक प्रकिया होने से इनसे सम्बन्धित कार्यों एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि से कराये जाने वाले कार्यों को छोड़कर शेष सभी आयोजनान्तर्गत कार्यों एवं परियोजनाओं हेतु उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी।

12. उपर्युक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(signature)

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. कमांक 634/आर–812/चार/ब–1/07 भोपाल, दिनांक 03/08/2007

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश.के सचिव,राजभवन भोपाल.
2. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा ,भोपाल ,
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर.
4. सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय , भोपाल
5. सचिव लोक सेवा आयोग ,इन्दौर .
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. समस्त संभागीय आयुक्त,
9. समस्त विभागाध्यक्ष,

10.**समस्त** जिलाध्यक्ष,
11.महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल /इन्दौर /ग्वालियर,
12.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/ भोपाल
13.आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल ,
14.मुख्य सचिव के स्टाफ अफिसर ,मंत्रालय भोपाल,
15.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एंव पेंशन मध्य प्रदेश,
16.समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्य प्रदेश,
17.समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

7 (7)

परिशिष्ट–एक

परियोजना अभिलेख का स्वरूप

योजना / परियोजना का नाम

(i) संदर्भ / पृष्ठभूमिः–इस अनुभाग में सेक्टर / उप सेक्टर, भारत सरकार व राज्य सरकार की प्राथमिकताएं, रणनीति, नीति तथा वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया जाय।

(ii) समस्याएं जिनका समाधान प्रस्तावित है :– इस अनुभाग में परियोजना / योजना के माध्यम से स्थानीय / क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर (जैसा भी हो) की समस्याओं के बारे में बताया जाये, जिनका समाधान इसके द्वारा प्रस्तावित है। इस संबंध में आवश्यक डाटा / सर्वे / प्रतिवेदन संलग्न किये जायें।

(iii) परियोजना का उद्देश्य :– इस अनुभाग में परियोजना से प्राप्त किये जाने वाले विकासात्मक उद्देश्यों, उनकी उपयोगिता का विवरण / प्रदाय / उत्पादन एवं प्रत्येक उद्देश्य को पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। परियोजना के बारे में सामान्य विवरण भी दिया जाय।

(iv) लक्षित लाभार्थी **(Target beneficiaries)**:– इस अनुभाग में परियोजना / योजना से लाभान्वित होने वाले लक्षित लाभार्थियों की पहचान स्पष्ट रूप से दर्शायी जाय। योजना से सम्बंधित पक्षों का विश्लेषण जिसमें उनसे किये गये परामर्श को बताया जाये, लागत में हिस्सेदारी अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी एवं परियोजना में उनके योगदान को दर्शाया जाये। समाज के गरीब तबकों पर परियोजना का सकारात्मक या विपरीत प्रभावों का निर्धारण किया जाये व यदि विपरीत प्रभाव हो तो उनके सुधार / उपचार के बारे में क्या प्रयास होंगे का विवरण दिया जाय।

(v) परियोजना की रणनीति :– इस अनुभाग में विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध वर्तमान व वैकल्पिक रणनीति का विश्लेषण दिया जाय। प्रस्तावित रणनीति के चयन का आधार बताया जावे। स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्र एवं स्वैच्छिक / स्थानीय संगठनों की परियोजना में भागीदारी की संभावना का परीक्षण कर उस पर विश्लेषणात्मक टीप दी जाय।

(vi) विधिक पहलू**(Framework)** :– इस अनुभाग में यदि परियोजना का कियान्वयन किसी विधिक ढांचे की सीमा में किया जाना है तो उसकी शक्ति एवं कमजोरी का विवरण दिया जाय।

(vii) पर्यावरणीय प्रभावः–

इस अनुभाग में पर्यावरणीय प्रभावों का आंकलन दिया जाये, जहां भी आवश्यक हो विपरीत प्रभावों को समाप्त किये जाने वाले उपायों की पहचान की जाये। परियोजना कियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि अर्जन, वन भूमि का व्यपवर्तन, पुनर्बसाहट आदि का विवरण दिया जाय।

(viii) पहले से कियान्वित योजनायें:– इस अनुभाग में क्षेत्र में पहले से किये जा रहे प्रयासों का विवरण दिया जाय। प्रस्तावित परियोजना की सहकियात्मकता (Synergy) का विवरण दिया जाय।

(ix) प्रौद्योगिकी मुद्दे **(Technology issues)**

इस अनुभाग में प्रौद्योगिकी के चयन के आधार के बारे में बताया जाय। यदि विकल्प मौजूद हैं तो जिस प्रौद्योगिकी के चयन किये जाने का प्रस्ताव है उसके चयन का कारण बताया जाय।

(x) प्रबन्धन व्यवस्थाः–

इस अनुभाग में परियोजना कियान्वयन हेतु विभिन्न एजेन्सियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाये। मानीटरिंग एवं समन्वय किस स्तर पर होगा, का विवरण दिया जाय ।

(xi) वित्त पोषण :–

इस अनुभाग में योजना के लिये वित्त पोषण कहां से होगा, उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन परियोजना बजट, लागत अनुमान व व्यय सम्बन्धी चरणबद्ध कार्यकम बताया जाये। अनुसूचित जाति/जनजाति सहित क्षेत्र को भी पृथक से दर्शाया जाय।कुल परियोजना लागत में विभिन्न स्त्रोतों की हिस्सेदारी भारत सरकार का अंश, सहायता, निजी भागीदारी तथा लागत वसूली (प्रयोक्ता प्रभार) को स्पष्टतः दर्शाया जाये, यदि ऋण लिया जाता है तो स्त्रोत, ऋण राशि की अवधि एवं उसका पूर्ण विवरण, शर्ते इत्यादि दी जायें।

(xii) समयबद्धताः–

इस अनुभाग में परियोजना आरम्भ करने की तिथि तथा परियोजना कियान्वयन का समयबद्ध कार्यकम दिया जाय। साथ ही परियोजना के विभिन्न घटकों को (CPM- Critical path method) या पी.ई.आर.टी. (PERT Programme Evaluation and Review technique) तकनीक से समय सीमा दर्शायी जाये।

(xiii) जोखिम का विश्लेषणः–

इस अनुभाग में प्रस्तावित योजना/ परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मौजूद जोखिम का चिन्हांकन किया जाय तथा उसे कम या समाप्त करने के उपायों का विवरण दिया जाय।

(xiv) मूल्यांकनः–

इस अनुभाग में समान प्रकृति की अन्य परियोजनाओं के कियान्वयन से प्राप्त अनुभवों का विवरण दिया जाय। प्रस्तावित परियोजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था की जानकारी दी जाय।

(xv) सफलता मापदण्ड :– इस अनुभाग में परियोजना के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति के आंकलन के तरीके का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिये।

(xvi) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषणः–

इस अनुभाग में जहां पर वित्तीय प्रतिफल (Financal return) मापनीय है, ऐसी परियोजनाओं के मामलों में वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण को स्पष्ट किया जावे, सामान्यतः इस प्रकार का विश्लेषण उन परियोजनाओं में जहां निवेश और अधोसंरचना की जा रही हो, अनिवार्यतः स्पष्ट किया जावे।

बड़ी योजनाओं के लिये आई.आर.आर. (IRR- Internal Rate of Retern) की गणना की जाये।

(xviii) संवहनीयता :–(Sustainability)

इस अनुभाग में परियोजना पूर्ण होने पर परियोजना की संवहनीयता से सम्बंधित मुद्दे जिनमें संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धताएं, संचालन की व्यवस्था और अनुरक्षण की व्यवस्था इत्यादि शामिल होगा का विवरण दिया जाय।

परिशिष्ट–दो

स्थाई सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत संक्षेपिका

विभाग का नाम

परियोजना /योजना का नाम

1. प्रस्ताव का विवरण:–

(क) राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित केन्द्र क्षेत्रीय अथवा अन्य, जिसके तहत योजना प्रस्तावित है, योजना /परियोजना का वित्त पोषण जिसमें राज्य या अन्य स्त्रोत को हिस्सेवार दर्शाया जावे,
(ख) क्या उक्त योजना एवं उद्देश्य हेतु किसी अन्य विभाग/एजेन्सी द्वारा भी कोई योजना कियान्वित की जा रही है या किये जाने की संभावना है ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण,

(ग) नया प्रस्ताव/ संशोधित प्रस्ताव/पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन,
(घ) कारणों एवं औचित्य का विवरण, जिसमें प्रस्ताव का ऐतिहासिक पूर्ववृत्त बताया जाये, ऐसी परिस्थितियां जिसके कारण प्रस्ताव किया गया है, इसके अन्य विकल्प क्या हैं , इसके वित्तीय एवं अन्य सुसंगत पहलू ,

(ड.) यदि योजना के कियान्वयन हेतु किसी स्थान, विशेष का चयन किया गया है तो उसके आधार तथा इस हेतु निर्धारित मापदण्ड,
(च) क्या प्रस्ताव पंचवर्षीय योजना में एवं वर्तमान वार्षिक योजना में शामिल है ? क्या कोई संशोधन प्रस्तावित है,

(छ) प्रदेश की अर्थव्यवस्था/आम जनता को प्राप्त होने वाला लाभ तथा इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं को प्राप्त होने वाला लाभ व संख्या पृथक–पृथक दर्शायी जाय,
(ज) निरन्तर स्वरूप की योजना /परियोजना की स्थिति में संशोधित वर्तमान अवस्था एवं प्राप्त की गई उपलब्धियां तथा लाभार्थियों को प्राप्त लाभ का विवरण:–
(झ) किसी अन्य विभाग की तत्सदृश कोई योजना है तो उस विभाग की कोई सलाह(उदाहरणार्थ यदि सड़क बनानी है तो किसी अन्य विभाग/बोर्ड के माध्यम से भी क्या उक्त योजना परियोजना का कि्रयान्वयन संभव है)
(ञ)क्या प्रस्ताव पर किसी अन्य समिति द्वारा विचार किया गया है, यदि हां तो उसकी अनुशंसा/निर्देश,लाभान्वित होने वाली जनसंख्या, क्षेत्रफल का विवरण

2. <u>कार्यक्रम निर्धारणः—</u>

(क) क्या परियोजना/योजना का विस्तृत निर्धारण किया जा चुका है तथा उसकी छानबीन की जा चुकी है,

(ख) निर्माण का प्रस्तावित कार्यक्रम जिसमें कि मशीनें एवं औजार और सिविल कार्य, कच्चा माल, पद निर्माण ,भर्ती नियुक्ति, (जनशक्ति) उपार्जन आदि—आदि की पृथक स्थितियां वर्षवार चरणबद्ध दर्शायी जायें,

(ग) वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा क्या भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एक दूसरे से मेल खाते हैं ,

(घ) योजना पूर्ण होने की तिथि एवं योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त होने की अनुमानित तिथि,
(ड.) यदि योजनान्तर्गत पुनर्वास/ पुनर्बसाहट शामिल हैं और तो इसकी लागत परियोजना की लागत में शामिल होनी चाहिये । यदि ऐसा है तो पुनर्बसाहट/पुनर्वास कार्यक्रम लागत की गणना निम्न आधारों पर निकाली जायेः—

(i) जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा पुनर्बसाहट के लिये जमीन, भवन आदि अधिग्रहित करने की लागत

(ii) ऐसे व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली अन्य सहायता, उसकी दर

3. <u>निहित व्ययः—</u>

(क) आवर्ती एवं अनावर्ती लागत की कुल राशि तथा वर्षवार व्यय एवं बजट प्रावधान की स्थिति
(ख) योजना के वित्त पोषण का विवरण,
(ग) क्या विदेशी सहायता (अनुदान या ऋण) पोषित है (अनावर्ती व आवर्ती व्यय को पृथक—पृथक बताया जाये),
(घ) व्यय का चरणबद्ध कार्यक्रम (आवर्ती एवं अनावर्ती)

(i) स्थिर मूल्यों पर,
(ii) पूर्णता लागत पर,
(iii) लागत अनुमानों के विभिन्न मदों के आधार व संदर्भ तिथि,

(ड.) प्रतिबंधित श्रेणी के व्ययों का कमवार विवरण

4. लागत अनुमानों एवं अन्य मानकों की विश्वसनीयता:–

(क) क्या योजना का पूर्व में सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं रूपांकन हो चुका है? यदि हां तो उसका विवरण एवं यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित या अनुमानित है तो उसका विवरण।

(ख) किस सीमा तक लागत अनुमान वास्तविक है ?

5. कियान्वयन क्षमता :–

(क) विभाग की कियान्वयन क्षमता एवं प्रस्ताव में समयबद्धता की सुनिश्चितता का विवरण,
(ख) पुनरीक्षित लागत अनुमानों के प्रस्तावों में लागत वृद्धि इत्यादि का पूर्ण विवरण,
(ग) सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की निरन्तरता के प्रकरणों में :–

आज की स्थिति में तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति में प्रतिबद्ध दायित्वों का विवरण(पृथक– पृथक दर्शायें)

6. व्यय का वर्गीकरण :–

(i) पदों की संख्या और वेतनमान (वर्षवार)
(ii) भवन व अन्य कार्यों पर व्यय तथा उनका आधार व चरणबद्धता एवं
(iii) भण्डार और संयत्रों पर व्यय (वर्षवार)
(iv) अन्य (वर्षवार)

7. जीवनक्षमता **(Viability))**

योजना/मद से लाभ प्राप्ति का मात्रात्मक आंकलन

(क) वित्तीय आंतरिक प्राप्तियों की दर **(Internal Rate of Return)**

(i) स्थिर मूल्यों पर
(ii) पूर्णता आधार पर

(ख) आर्थिक आंतरिक प्राप्तियों की दर **(Economic Internal Rate of Return)**

(i) स्थिर मूल्यों पर
(ii) पूर्णता आधार पर

(ग) योजना स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्ड
(घ) विचाराधीन योजना की मापदण्ड अनुसार स्थिति

(ड.) पुनरीक्षित लागत की गणना तथा औचित्यः–

(क) मूल लागत जो स्थिर की गई थी का अनुमोदन दिनांक
(ख) मूल्य या स्थिर अनुमोदन लागत के घटकों की तुलना मे

(i) मूल लागत में वृद्धि (राशि व प्रतिशत में)
(ii) पूर्णता लागत में वृद्धि (राशि व प्रतिशत में)
(ग)वर्तमान लागत (पूर्णता लागत)
(घ)पूर्व में पूर्णता का तिथि कम (चरणबद्ध कम में)
(ड.)पुनरीक्षित पूर्णता तिथि कम (चरणबद्ध कम में)
(च)संक्षेप में वृद्धि स्पष्ट अवधि कम में
(छ)पूर्णता लागत में वृद्धि के निम्नांकित मदों में विसंगति का विश्लेषणः–

- (i) समयवृद्धि के कारण लागत में वृद्धि का परिमाणः–
- (ii) परियोजना की भौतिक प्रगति का वर्तमान स्तर
- (iii) किया गया व्यय एवं निर्मित प्रतिबद्धतायें
- (iv) पूंजीगत लागत अनुमानों में वृद्धि का प्रभाव व लाभ में कमी/बेशी
- (v) समय–समय पर क्या अनुशंसित लागत पर की मानीटरिंग भौतिक प्रगति की तुलना में की गई है, यदि की गई तो कब–कब समय और लागत वृद्धि की क्या जिम्मेदारी नियत की गई है ? यदि की गई है तो उसका विस्तृत विवरण।
- (vi) लागत एवं समय वृद्धि के बिन्दु को क्या पहले समिति के ध्यान में लाया गया, यदि लाया गया तो उस पर क्या निर्णय हुआ और निर्णय के अनुपालन की कार्यवाई।

(ज) पुनरीक्षित लागत वृद्धि के प्रस्तावों पर जिस पर अनुमोदन चाहा गया है के बारे में तकनीकी समिति (यदि कोई है) का अभिमत
(झ) अनुपूरक जानकारी यदि कोई हो
(ञ) जिस पर निर्णय/स्वीकृति की आवश्यकता है का बिन्दुवार वर्णन
(i) मूल्य वृद्धि
(ii) मुद्रा परिवर्तनीयता अन्तर
(iii) कार्य में परिवर्तन
(iv) वैधानिक वसूली
(v) जुड़ाव

(ट) अनुमान में चूक
(ठ) अन्य (स्पष्ट करे)

9. परियोजना स्वीकृति हेतु अनुशंसा

(क) वित्तीय सलाहकार
(ख) विभागाध्यक्ष
(ग) विभागीय सचिव